

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

कमांक:-स्था.(रा.न्या.से.) अवकाश / 564 / 2025

दिनांक : 19.02.2025


श्री विक्रम चौधरी (RJ01029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर महानगर को निम्नलिखित अवकाश स्वीकृत किये जाते हैं:-

1. दिनांक 18.12.2024 से 20.12.2024 तक 03 दिनों का उपाजित अवकाश।
2. दिनांक 13.01.2025 से 18.01.2025 तक 06 दिनों का परावर्तित अवकाश।

श्री चौधरी की अनुपस्थिति में विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम-01, जोधपुर महानगर ने इनके आवश्यक एवं दैनिक कार्य की देखभाल की।

अवकाश से लौटने पर इनकी नियुक्ति विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर महानगर के पद पर ही की गई।

आज्ञा से



रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

कमांक:-स्था.बी.2(4)/16/2016/1465

दिनांक 19.02.2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर महानगर को उनके पत्रांक 08/09 दिनांक 20.01.2025 के सन्दर्भ में।
3. श्री विक्रम चौधरी (RJ01029), विशिष्ट न्यायाधीश, आवश्यक वस्तु अधिनियम, जोधपुर महानगर।
4. विशिष्ट न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम कम-01, जोधपुर महानगर।


सहायक रजिस्ट्रार 19/02/25